

# उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

परिपत्र संख्या सी-71 / ऋण/प०सं०-83/अ०प्र०पत्र/2018-19


दिनांक-26.11.2018

समस्त शाखा/वरिष्ठ प्रबन्धक,  
उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०,  
उत्तर प्रदेश।

कृपया प्रधान कार्यालय के परिपत्र संख्या सी-39/ऋण/अदेयप्रमाणपत्र/16-17 दिनांक 25.07.16 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा शाखाओं पर जारी किये जाने वाले अदेय प्रमाण पत्र शुल्क प्रति लाभार्थी रू० 50.00(पचास रूपया मात्र) तथा समूह के लाभार्थियों के मामले में अधिकतम रू० 100.00 (एक सौ रूपये मात्र) शुल्क लिये जाने के निर्देश जारी किये गये थे। बैंक प्रबन्ध समिति की बैठक दिनांक 04.08.18 में पारित प्रस्ताव संख्या-08 द्वारा अदेय प्रमाणपत्र निर्गमन शुल्क में संशोधन करते हुए निर्धारण किया गया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि बैंक प्रबन्ध समिति द्वारा लिये गये निर्णयानुसार शाखाओं से जारी किये जाने वाले अदेय प्रमाणपत्र प्रति लाभार्थी से रू० 100.00 (एक सौ रूपये मात्र) तथा समूह के सदस्यों के मामले में वितरित ऋण से सृजित प्रोजेक्ट एक ही है तो एक प्रोजेक्ट मानते हुए अधिकतम रू० 200.00 (दो सौ रूपया मात्र) शुल्क लिया जाना है। कृपया उक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

  
(के० पी० सिंह)  
प्रबन्ध निदेशक

**प्रतिलिपि:-** निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1.समस्त अधिकारीगण,उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०,प्रधान कार्यालय/प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ।
- 2.समस्त मण्डल, पर्यवेक्षक, उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०,प्रधान कार्यालय, लखनऊ।
- 3.समस्त सहायक आयुक्त/जिला सहायक निबन्धक,सहकारिता, उत्तर प्रदेश।
- 4.समस्त क्षेत्रीय उपायुक्त/उपनिबन्धक, सहकारिता, उत्तर प्रदेश।
- 5.समस्त शाखा प्रतिनिधि, उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०,उ०प्र० द्वारा सम्बन्धित शाखा प्रबन्धक।
- 6.निजी सचिव(प्रबन्ध निदेशक) उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०,प्रधान कार्यालय,लखनऊ के द्वारा प्रबन्ध निदेशक के अवलोकनार्थ।
- 7.निजी सचिव(आयुक्त एवं निबंधक) सहकारिता, को आयुक्त एवं निबंधक महोदय के अवलोकनार्थ।
- 8.निजी सचिव(प्रमुख सचिव) सहकारिता, को प्रमुख सचिव, सहकारिता, उ०प्र०शासन, महोदय के अवलोकनार्थ।
- 9.निजी सचिव(सभापति),उ०प्र०सह०ग्राम विकास बैंक लि०,प्र०का०,लखनऊ को मा० सभापति महोदय के अवलोकनार्थ।
- 10.समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 11.समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 12.उप महा प्रबन्धक(कम्प्यू०) उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०,प्र०का०,लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि बैंक की शाखाओं के ई-मेल पर अपलोड करने हेतु।

  
26/11/18

(के० बी० लाल)

सहायक महाप्रबन्धक(ऋण)